न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

<u>पीठासीन अधिकारी— राजीव बडगूजर (आर.ए.एस.)</u>

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
36 / 2024	05.03.2024	01.08.2024

अनवान

1. आशा पुत्री माधु जाति जटिया आयु वयस्क निवासी लालजी का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. केसर पुत्री माधु जाति जटिया आयु वयस्क निवासी लालजी का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. किशन पुत्र माधु जाति जटिया आयु नाबालिग बविलायत माता चान्दी पत्नी माधु जटिया निवासी लालजी का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. चान्दी पत्नी माधु जाति जटिया आयु वयस्क निवासी लालजी का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. शंकरी पत्नी माधु जाति जटिया आयु वयस्क निवासी लालजी का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. कमली पत्नी प्यारा जाति जटिया आयु वयस्क निवासी लालजी का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. रामलाल पिता मोहन मुतबन्ना प्यारा जाति जटिया आयु वयस्क निवासी लालजी का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. भैरू पिता उदयलाल जाति ढोली आयु वयस्क निवासी लालजी का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. पप्पू पिता उदयलाल जाति ढोली आयु वयस्क निवासी लालजी का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ। (विलोपित)

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री गोपाल दाधीच — प्रार्थीगण
एक तरफा — अप्रार्थीगण

<u>—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम::—</u>

<u>—:: निर्णय ::—</u>

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.08.23 12:55:28 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा हथियाना पटवार हल्का हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबन्दी संवत् 2074—2077 के खाता संख्या 33 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1768, 1769, 1770, 2910 / 1769 कुल किता 04 कुल रकबा 0.92 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई

सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 01.08.2024 को अप्रार्थी सं0 1 से 3 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। तथा अप्रार्थी संख्या 4 के विरूद्ध वकील प्रार्थीगण द्वारा आदेशिका पर हस्ताक्षर कर कार्यवाही नहीं चाहने से कार्यवाही ड्रॉप की गयी। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को पत्थरगढी कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा हथियाना पटवार हल्का हथियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 33 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1768, 1769, 1770, 2910/1769 कुल किता 04 कुल रकबा 0.92 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर पत्थरगढी किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

Signature Not Verified

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 01.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.08.23 12:55:28 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजीव बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन